न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश विश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 6/2021

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थी–**
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		महेन्द्र पुत्र चनणसिंह जाति सोढ़ा निवासी देदडियार गडरारोड जिला बाड़मेर (वाहन संख्या आरजे 04 जेबी 5141 का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेश बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 24.03.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी ने दौराने गश्त दिनांक 08.11.2020 को चौहटन चौराहा बाड़मेर पर अप्रार्थी के वाहन संख्या आरजे 04 जेबी 5141 को रूकवाया गया जिसमें चैक करने पर एक कैन में विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **दूध (मिक्स)** जो कि 50 लीटर भरा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **2 लीटर दूध (मिक्स)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1271** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **दूध (मिक्स)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ दूध (मिक्स) का नमूना अवमानक **(Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:53:38 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के वाहन से लिये खाद्य पदार्थ के नमूने की रिपोर्ट जो जोधपुर लैब से आई हैं उसमें माईनर त्रुटि बताई गई है तथा बाड़मेर में गाय भैंसों को सूखा चारा खिलाया जाता है जिससे दूध में फैट की मात्रा 3 से 3.5% पाई जाती है। अप्रार्थी से प्राप्त नमूना में फैट की मात्रा 3.8% पाई गई है जो गुणवत्तापूर्ण है। अप्रार्थी द्वारा दूध में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है और न ही इस दूध से किसी प्रकार की जनहानि या अन्य किसी प्रकार का नुकसान हुआ है। अप्रार्थी ने कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं किया है और न ही अप्रार्थी का यह कृत्य बारम्बार का है। लिहाजा अप्रार्थी धारा 49 के उपबंधों का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही ड्रॉप किया जाना न्यायोचित है।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी के वाहन से लिये गये खाद्य पदार्थ नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **15.12.2020** मे उक्त नमूना **अवमानक (Sub-standard)** खाद्य का पाया गया है। इस पर अप्रार्थी को पदाभिहीत अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब/उजर प्रस्तुत नहीं किया गया। यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया, जिस पर उसके अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षण के रूप मे जवाब प्रस्तुत किया गया हैं कि उक्त खाद्य पदार्थ का निर्धारित मानक वेल्यू में माईनर अन्तर पाया गया तथा इस अन्तर के फलस्वरूप उक्त खाद्य पदार्थ मानव जीवन के उपयोग हेतु किसी भी रूप में हानिकारक या प्राणघातक नहीं है जबकि जांच रिपोर्ट अनुसार Milk Fat मानक स्तर 4.5% के मुकाबले में 3.8% पाया गया है जो कि मानक स्तर से अधिक अन्तर होना पाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:53:38 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

गया हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थों की मानकता के स्तर का नहीं होने से उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का हैं। अप्रार्थी के वाहन से विक्रय के आशय से रखे गये खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक पाये जाने के तथ्य का कोई ठोस एवं विधिसम्मत जवाब नहीं है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर अपराध की गम्भीरता को देखते हुए **रूपये 5,000/-** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक **24.03.2021** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश विश्नोई)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:53:38 IST
Reason: SelfAttested